न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 97/2018 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2018/00034**
दायर दिनांक :– 09.10.2018 **निर्णय दिनांक :– 08.11.2024**

1. गंगाराम पुत्र रूगनाथराम जाति विश्नोई निवासी झड़ासर तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सराकर जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर वर्तमान फलोदी जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आश्य से पेश किया है प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम रोणरी खसरा नम्बर 792 रकबा 132–00 बीघा जो वर्तमान में नवसृजित ग्राम झड़ासर तहसील बाप में स्थित है। जो प्रार्थी की कदिमी कब्जा काश्त की आई हुई है। ग्राम राणेरी वक्त बन्दोबस्त तहसील फलोदी में स्थित था तथा वर्तमान नई तहसीलों का सृजन हो जाने से तहसील बाप में स्थित है। ग्राम राणेरी तथा आस पास के गांवों का भू प्रबन्ध सम्वत 2015–2031 तक चला था तथा सर्वप्रथम इस गांव की जांगदी सम्वत 2016–2019 की बनी थी। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 132 बीघा ग्राम झड़ासर भूमि पर वक्त बन्दोबस्त तथा बन्दोबस्त के पूर्व से की कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें प्रार्थी के पीढियों के पांच पक्के घर बने हुवे है तथा पानी के टांके तथा पशुओं के रखने हेतु बाड़े आदि बने हुवे है जिसमें प्रार्थी परिवार सहित निवास करते आ रहे है तथा विवादग्रसत खेत के चारों और तारबंदी की हुई है। जिसका सर्वप्रथम राजस्व रेकर्ड में अकंन राणेरी गांव की गिरदावरी तैयार किया जाना प्रारम्भ करने पर खसरा गिरदावरी सम्वत 2016–17 व 2018 तथा आगे के वर्षो में होता रहा तथा राजस्व कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थी से ढालबांछ में लगान लेते रहे। लेकिन तत्कालीन भू प्रबन्ध के कमचारियों द्वारा गलती से प्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज नहीं की जिसका प्रार्थी दूर–दराज इलाके के अनपढ

08.11.24
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

25/01/24 18/11/24

व्यक्ति होने से इल्म नहीं हुआ लेकिन बाद में प्रर्थीगणों को पता पड़ने पर प्रार्थीगण द्वारा तात्कालीन भूप्रबन्ध अधिकारियों को अपनी खातेदारी से छूटा हुआ खेत खसरा नम्बर 792 रकबा 132 बीघा की खातेदारी प्रदान किये जाने का आवेदन किया जिस पर तहसीलदार फलोदी द्वारा गोवर्नमेंट ऑफ राजस्व के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 13 सितम्बर 1956 के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगणों को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार दिये जाने के आदेश पारित कर दिये। प्रार्थीगणों के नाम से नामान्तरकरण संख्या 7 ग्राम राणेरी दिनांक 18.10.1960 स्वीकार कर लिया तथा जिसका जमाबंदी सम्वत 2021–2024 में बहैसियत खातेदार में इन्द्राज कर दिया जो चलता रहा तथा तहसीलदार द्वारा जमाबंदी प्रमाणीकरण के समय भी प्रार्थीण को धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारी दिये जाने की पुष्टि की लेकिन आगे नई जमाबंदी बनाते समय राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटि से सम्वत 2025–2028 की जमाबंदी तथा आगे की जमाबंदी सम्वत 2036 तक खतौनी मे दर्ज होने से टूट गया तथा प्रार्थी का जमाबंदी से नाम विलोपित होने का ज्ञान होने पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे खेत खसरा नम्बर 790 की जमाबंदी से नाम विलोपित हो गया है जो दर्ज किया जावे पर तहसीलदार फलोदी द्वारा दिनांक 22.03.1990 राजस्व रेकर्ड संबंधी विस्तृत जांच करके पटवारी हल्का को रेकर्ड दुरूस्ती का आदेश देते हुवे पुनः प्रार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश पारित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा रेकर्ड दुरूस्त किया गया जिसके बाद लगातार विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी के पड़ोसी खातेदार द्वारा 48 वर्ष बाद खातेदारी आदेश को खुर्द बुर्द कर नामान्तरकरण संख्या 7 के विरूद्व एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया जो प्रार्थना पत्र दिनांक 18.07.2008 को अपर जिला कलक्टर द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर को भेज दिया जिस पर राजस्व मण्डल द्वारा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आदेश जिससे प्रार्थी को खातेदारी अधिकार दिये गये जो प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2013 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी का भरा गया नामान्तरकरण संख्या 7 खारिज किये जाने के आदेश प्रदान कश्र दिये जिसके आदेश को प्रार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश को यथावत रखने पर प्रार्थी द्वारा वर्तमान प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होने से यह प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थी का कब्जा वक्त बन्दोबस्त से चला आ रहा है तथा धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थी को दिये आदेश से प्रार्थी को खातेदारी दी गई लेकिन लम्बे समय बाद तहसील कार्यालय से खातेदारी का आदेश नहीं मिलने से प्रार्थी की खातेदारी निरस्त की गई। प्रार्थी का लम्बे समय से कब्जा काश्त होने से सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित है।

08.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

23/01/24 18/11/24

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

पत्रावली के संलग्न खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, राजस्व मण्डल राजस्व के निर्णय की प्रति, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति इत्यादि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी को विवादग्रस्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 7 के जरिये प्रार्थी के नाम दर्ज की गई तत्पश्चात उक्त नामान्तरकरण संख्या 7 के विरूद्व रेफरेंस प्रार्थना पत्र अपर जिला कलक्टर को प्रस्तुत होने पर रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेंर प्रेषित किया गया। रेफरेंस प्रार्थना पत्र दिनांक 04.02.2013 को स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या 7 खारिज किया गया। उक्त आदेश की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्व मण्डल के आदेश को यथावत रखा गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.04.2017 की अपील माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की या नहीं ऐसा कोई आदेश/दस्तावेज पेश नहीं किया। तहसीलदार बाप ने भी अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि खातेदारी का आदेश तहसील कार्यालय में नहीं मिलने से खातेदारी निरस्त की गयी। प्रार्थी और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में भली भांति साबित नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवाय चक भूमि है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

08.11.24
सहायक कलेक्टर
बाप

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन के दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष इंजित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को लिखवाया जाकरे खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)